**न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस.**

**अपील संख्या** 03 / 2014 राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
**सीसीएमएस नं.** 2014 / 00123

अपीलार्थी :- रामपाल उर्फ पालाराम पुत्र बृजलाल जाति धानक निवासी 23 बीबी बैरां पुलिस थाना पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

-- अपीलांट

- बनाम -

स्टेट ऑफ राजस्थान।

-- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :- श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलान्ट
श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ — लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

**निर्णय**

दिनांक 29.04.2024

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 27.03.2014, जिसके द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से अति.जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी रामपाल उर्फ पालाराम पुत्र बृजलाल जाति धानक के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट के विरूद्ध कुल 08 प्रकरण दर्ज हुए है, जिसमे 04 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। अपीलांट सट्टा करने का आदी है, जिसकी समाज में आम शौहतर खराब है। अपीलांट की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है। गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है। अपीलांट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है, अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपरोक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात न्यायालय अति जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.3.2014 को अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए अपीलांट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 3 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2014 के विरुध्द राज.गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय क सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र इस्तगासा के ही आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। पुलिस थाना पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध जिन मुकदमों का अंकन किया है, वे तमाम मुकदमे झूठे व बेबुनियाद है। अपीलार्थी के विरुध्द धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ना ही कभी प्रार्थी द्वारा कोई शांति भंग की गई है और ना ही इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज है। अपीलांट एक अच्छे चालचलन तथा अच्छी शोहरत वाला व्यक्ति है। अपीलांट अधिनियम में वर्णित धारा 3 क, ख व ग की परिधि में नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान प्रकरण सुनने व तय करने की क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता ही नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द इस्तगासा में वर्णितानुसार 8 मामले विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुए थे, जिसकी रोकथाम आवश्यक थी। प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा 'क' 'ख' 'ग' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा तथा अभियोजन पक्ष के गवाह के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है। इसकी आम शोहरत अच्छी नहीं है, मोहल्ले के आम जन तथा लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं। अपीलांट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांट को तीन माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित किये जाने के आदेश पारित किये तथा उक्त निष्कासित अवधि में अपीलांट का मुख्यालय जिला हनुमानगढ़ जंक्शन रखे जाने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड 'क' 'ख' 'ग' में विनिर्दिष्ट तीनों शर्ते पूरी करता है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2014 न्यायोचित होने के कारण उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2014 यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है ।

7. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/4/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर
सत्यमेव जयते